तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निगरानी / टी.ए. / 529 / 2003 / चित्तोडगढ कमला देवी बनाम भैरुलाल	

एकल–पीठ

श्री सूरज भान जैमन, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री जे0के0 पंत अभिभाषक प्रार्थीगण

रेस्पोडेंट को बार बार आवज दिलाई ,कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांकः 16–07–2018

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ी सादडी के निर्णय दिनांक 19–12–2002 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. निगरानी के सक्षिप्त तथ्यों अनुसार अप्रार्थी संख्या से 10 वादीगण ने प्रार्थी / प्रतिवादीगण एवं अप्रार्थी संख्या 11 राज्यसरकार के विरुद्ध न्स्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ी सादडी के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88–188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ग्राम भाटोला ब्राहमणान तहसील बडीसादडी में स्थिति आराजी खसरा नम्बर 627 / 2,रकबा 24 बहीघा के बावत पेश किया जो विचाराधीन है। दौराने दावा वादीगण ने एक प्रार्थनापत्र. अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सीपीसी बावत मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु पेश किया जिसे उपखण्ड अधिकारी बड़ी सादडी ने अपने निर्णय दिनांक 19–12–2002 को स्वीकार कर तहसीलदार बडीसादडी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टी.ए. / 529 / 2003 / चित्तोडगढ** कमला देवी बनाम भैरुलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मौका रिर्पोट मंगवाने का आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर हस्तगत निगरानी इस न्यायालय में पेश की गयी है। 3. निगरानी पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया। 4. दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने तहसीलदार बडी सादडी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर कानूनी त्रुटि की है। चूँकि वादीगण मौका रिपोर्ट की आड में अतिरिक्त साक्ष्य एकत्रित करना चाहते है जिसके लिए कानूनन आज्ञा नही दी जा सकती है। प्रत्येक पक्षकार को स्वयम के स्तर पर ही साक्ष्य एकत्रित की जा सकती है न कि मौका कमिश्नर के द्वारा। उक्त तर्को के समर्थन में आरबीजे 1999 पेज 139 को उद्धरित कर निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन निर्णय दिनांक 19–12–2002 को निरस्त किया जावे। 5. हमने प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की ओर से की गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। 6. विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–12–2002 का अवलोकन किया गया। परीक्षण न्यायालय में वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सीपीसी को स्वीकार कर विवादित आराजी के मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किया है। इस बिन्दु पर कोई विवाद नही है कि न्यायालय किसी पक्ष विशेष के पक्ष में साक्ष्य एकत्रित करने हेतु कमिश्नर नियुक्त नही	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 529 / 2003 / चित्तोडगढ</u>** कमला देवी बनाम भैरुलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कर सकता है। पक्षकारान को स्वयं अपने पक्ष की साक्ष्य अपने पक्ष में प्रस्तुत करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सीपीसी को स्वीकार कर विवादित आराजी की मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु जो मौका कमिश्नर नियुक्त किया है, वह स्पष्ट रुप से कानूनी प्रावधानों के विपरीत व मनमाने रुप से सरासर गलत है जो किसी भी स्थिति में यथावत रखा जाने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण के अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत कानूनी नजीर 1999 आरआरडी पेज 139 वखूबी चस्पा होती है। फलस्वरुप यह निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है। 7– अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–123–2002 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सूरज भान जैमन)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<u>निगरानी / टी.ए. / 529 / 2003 / चित्तोडगढ</u> कमला देवी बनाम भैरुलाल	
	पत्रवली फैसल शुमार होकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(श्याम लाल गुर्जर)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टी.ए. / 529 / 2003 / चित्तोडगढ** कमला देवी बनाम भैरुलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टी.ए. / 529 / 2003 / चित्तोडगढ** कमला देवी बनाम भैरुलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए